ऑन लाईन नं. RCMS 2024/128

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 16/2024

1. सुखवीर कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति तरखान निवासी गुरूनानक कॉलोनी, मुरब्बा नम्बर 121 के किला नम्बर 1 गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत गणेशगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गणेशगढ।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गणेशगढ।
3. कान्हाराम ताखर पुत्र श्री रामकुमार ताखर निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. जंगीर सिंह निवासी वार्ड नम्बर 05 गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखदेव पुत्र स्व. जंगीर सिंह निवासी वार्ड नम्बर 05 गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सुखप्रीत कौर वार्ड पंच , वार्ड संख्या 2 गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कमला देवी वार्ड पंच वार्ड संख्या 5 गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. श्रवण कुमार पुत्र श्री पुरखाराम निवासी वार्ड नम्बर 5 गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत गणेशगढ का कमांक 135 दिनांक 05.07.2024 जिसकी रूह से प्रार्थीया का प्लाट गुरूनानक कॉलोनी चक गणेशगढ़ मुरब्बा नम्बर –121 किला नम्बर 1 में स्थित 40x60 फुट जगह का नियमन गलत रूप से प्रार्थीया के पक्ष में नही करने व बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है बमुराद मनसुखिया है।

उपस्थित :–

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री तेजा सिंह संधू अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या –1 ता 3
3. श्री संजय तेनगरिया गैरनिगरानीकर्ता संख्या 6 ता 8

:: आदेश ::

दिनांक: 05.03.2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में एक निगरानी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी जिसमे श्रीमान न्यायालय दिनांक 15.03.2024 को मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। जिस आदेश को श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2024 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा एक रिट याचिका संख्या 6452/24 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को निर्देशित किया गया

अति0 जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

था कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत में दिनांक 18.08.2021 को दिये गये नियमन के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 का तीन सप्ताह मे निस्तारण किया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 का निस्तारण बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये व पंचायत राज अधिनियम 1994 व पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत दिनांक 05.07.2024 को गलत रूप से निस्तारण कर मौका पर प्रार्थीया का जो शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा था। उसे अतिकण मानकर हटा दिया गया व प्रार्थीया के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 का निस्तारण आदेश कमांक 135 दिनांक 05.07.2024 द्वारा कर दिया जिसके विरूद्ध निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक 135 दिनांक 05.07.2024 एक पक्षीय तौर पर बिना प्रार्थीया को सुने, व बिना कोई नोटिस दिये प्राकृति न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आदेश दिनांक 05.07.2024 पारित करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया ना ही कोई सूचना अखबार में छाया की गई। प्रार्थीया शांतिपूर्वक कब्जा को गलत तरीके से अतिक्रमण मानकर हटा दिया गया जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 का निस्तारण करने का निर्देश दिया गया था इसलिये भी आदेश कमांक 135 दिनांक 05.07.2024 निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि श्रीमान न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पूर्व निगरानी के माध्यम से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को पूर्ण रूप से पता चल गया था कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता जंगीर सिह द्वारा प्रार्थीया के हक में उक्त भूखण्ड का दान पत्र लिखा गया है। इसलिये अप्रार्थी संख्या । ता 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को उकसाकर प्रार्थीया के विरूद्ध गलत कार्यवाही करने के लिये उत्प्रेरित किया और अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 द्वारा अपने गलत हित के लिये ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के साथ सांठ गांठ करके प्रार्थीया को उसके भूखण्ड से बेदखल करवाने की कार्यवाही प्रार्थीया के विरूद्ध की गई। जबकि प्रार्थीया उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता द्वारा किये गये दान पत्र के द्वारा उक्त भूखण्ड पर आबाद थी। उक्त भूखण्ड पर वर्ष 1990 से जंगीर सिह का कब्जा था व वर्ष 2016 से प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा था। जो कि शांतिपूर्वक था इसलिये उक्त भूखण्ड को पाने की प्रथम पात्र थी। जिस बात पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा गौर नहीं किया गया।
4. यह कि प्रार्थीया द्वारा आबादी भूमि चक गणेशगढ के मुरबा नम्बर 121, किला नम्बर 01 में 40 इन्टू 60 फुट भूखण्ड के नियमन के लिये दिनांक 18.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमे अप्रार्थी संख्या

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

01 द्वारा इन्कार किया जा रहा है किन्तु इसके सबंध में ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत की मिटिंग में देने के सबंध में दी गई तस्दीक की फोटोप्रति व मौका पर उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीया का वर्ष 1998 से कब्जा होने की तस्दीक जो पंचों द्वारा दी गई है। वह मौका पर बने हुए निर्माण की फोटो सलग्न निगरानी है। जिससे प्रार्थीया उक्त भूखण्ड के निययन के पात्र थी।

5. यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 6452/24 दोनां पक्षों से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को सुनकर ही प्रार्थना पत्र, प्रार्थीया दिनांक 18.08.2021 को तीन सप्ताह में निस्तारित करने का आदेश दिया गया था उच्च न्यायालय अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 पेश करने के कथन से इन्कार नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा आदेश दिनांक 05.07.2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना की गई है।

6. यह कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 गुम हो गया था या अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 को खुर्द बुर्द कर दिया था तो भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रार्थीया से प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 की द्वितीय प्रति प्राप्त कर उसका सही निस्तारण करना चाहिए था किन्तु सरपंच व सचिव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के साथ आपसी सांठ गांठ करके स्वयं के हित में अप्रार्थी संख्या 3 से मोटी राशि प्राप्त करने की मंशा से समस्त द्वेषपूर्ण कार्यवाही प्रार्थीया के प्रति अमल में लाई गई है कोई भी दस्तावेज गुम होने पर उसकी द्वितीय छांया प्राप्त करने का कानूनी प्रावधान है। इसलिये भी आदेश दिनाक 05.07.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि उक्त भूखण्ड को आवंटन नियमन करवाने के लिये पंचायत राज अधिनियम 1994 व पंचायत राज अधिनियम 1996 व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 के निस्तारण में कतई रूप से पालना नही की है। जो प्रावधान निम्न प्रकार से है:–

(1) यह कि पंचायत राज नियमों के प्रावधानों के अनुसार धारा 146 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीया के आवेदन पत्र को दर्ज नहीं किया गया और आवेदन पत्र दर्ज कर पंचों की कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। नियम 146 के प्रावधान निम्न प्रकार है:–

नियम 146 स्थल निरीक्षण

(1) सचित ऐसे प्रावधान को प्रारूप 21 से दर्ज करेगा और फाईल खोलेगा।

(2) सचिव ऐसे सभी लंबित प्रकरणों को निरीक्षण स्थल के लिये पंचो की कमेटी नियुक्त करने के लिये आगामी बैठक मे रखेगा।

(3) पंच 15 दिन की अन्दर–अन्दर निम्न विषयों पर अपनी राय देगें।

(क) क्या आवेदित विकय आने जाने के लिये उपर्युक्त सुविधाओं को प्रभावित करता है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

(ख) विकय से कोई सूखाचार संबधी अधिकार प्रभावित होता है।
(ग) विकय से क्षेत्र की सुन्दरता व सफाई प्रभावित होती है।
(घ) भूमि खरीदने के उपर्युक्त इच्छुक निवासियों के नाम
(ड) अन्य विषय जो सुसंगत प्रतीत हो पर अपनी राय की जानी थी। कितुं प्रार्थीया के प्रकरण में उक्त प्रकार के प्रावधानों की पालना नहीं की गई

(2) यह कि अंतिम विनिश्चय के लिये नियम 147 की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अतिंम निर्णय के लिये कोई ग्राम पंचायत की बैठक आहुत नही की गई है और ना ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया, जो प्रस्ताव संख्या 02 पारित किया गया है उसमें पचों के हस्ताक्षर फर्जी किये गये हैं जो पंचों के पारिवारिक सदस्यों से जबरन करवाये गये हैं। सरपंच द्वारा बिना किसी प्रस्ताव के स्वेच्छा से ही प्रार्थीया को आंवटन के अयोग्य मानकर प्रार्थीया के कब्जा को अतिक्रमण की श्रेणी में मानकर प्रार्थीया को उसके चक गणेशगढ के मुरबा नम्बर 121, किला नम्बर 1 में 40 इन्टू 60 फुट के भूखण्ड से गलत रूप से बेदखल कर दिया गया।

(3) यह कि प्रार्थीया बाजार कीमत पर नीलामी के आधार पर भी नियम 151 में 152 में उक्त भूखण्ड पाने की हकदार थी।

(4) यह कि प्रार्थीया नियम 157 के अन्तर्गत पुराने घरों का भी नियमतीकरण के अतंर्गत भी उक्त भूखण्ड चक गणेशगढ के मुरबा नम्बर 121 के किला नम्बर में 40 इन्टू 60 फुट के भूखण्ड के नियमन करवाने की हकदार थी क्योंकि उसका कब्जा 25 वर्ष के दोरान था और भूखण्ड मे झोंपडा आदि बना हुआ था ओर प्रार्थीया के पास अन्य कोई भूखण्ड नही था।

8. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वर्ष 1990 से लेकर आज दिनांक तक कभी भी प्रार्थीया के कब्जा को पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 165 के अतर्गत अतिक्रमण की श्रेणी मे दर्ज रजिस्टर नहीं किया गया और ना ही कभी नियम 165 से सबंधित प्रकिया का कोई नोटिस प्रार्थीया को दिया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया अतिक्रमी नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीया को गलत रूप से बेंदखल किया गया इसलिये भी आदेश दिनांक 05.07.2024 निरस्त होने योग्य है।
9. यह कि प्रार्थीया जो कि उक्त पता पर वर्ष 2016 से निवास कर रही है। प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता जंगीर सिह पुत्र पूर्ण सिंह जाति तरखान निवासी गणेशगढ द्वारा चक गणेशगढ़ के गुरूनानक कालोनी मे कॉर्नर का प्रथम प्लाट जिसे उतर व पश्चिम में दो रास्ते आम लगते थे व दक्षिण दिशा में देवाराम का प्लाट है व पूर्व दिशा में दूलींचद का प्लाट है जिसका साईज 40 इन्दू 60 फुट है। दिनांक 12.02.2016 को गणेशगढ शेर सिह पुत्र टहल सिंह निवासी नंदेवाली ढाणी व मेजर सिह पुत्र जंगीर सिह निवासी गणेशगढ की उपस्थिति में 100 रूपये के स्टाम्प पर दस्तावेज गिफ्टनामा निष्पादित करके प्रार्थीया को दिया था। दस्तावेज गिफट दिनांक 12.02.2016 नोटेरी पब्लिक एस पी गुप्ता द्वारा जंगीर सिंह व वादिया व दोनों गवाहान की उपस्थिति में प्रमाणित करके दिया गया था। उक्त गिफटडीड

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

मे जो भूखण्ड प्रार्थीया को जंगीर सिंह द्वारा दिया गया था उसके एवज में वादिया द्वारा किसी प्रकार प्रतिफल जंगीर सिह को अदा नहीं किया गया और जंगीर सिंह द्वारा पूर्ण रूप से होश हवास मे उक्त दस्तावेज निष्पादित कर उक्त्त अंकित भूखण्ड का कब्जा दिनांक 12.02.2016 को प्रार्थीया के सुपुर्द कर दिया गया। गिफटडीड की फोटोप्रति, जमाबंदी, मोका की तीन फोटोग्राम सलगन निगरानी है।

10. यह कि प्रार्थीया जो कि निहाईत गरीब परिवार से है व औरतजात है जिसके पास रिहाईश के लिये गांव गणेशगढ में अन्य कोई जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थीया द्वारा वर्ष 2016 में ही उक्त भूखण्ड का कब्जा जंगीर सिह द्वारा उसे सुपुर्द करने तुरंत बाद आबादी भूमि गैरमुमकिन गणेशगढ़ के मुरबा नम्बर 121 के किला नम्बर 01 में स्थित उक्त 40 इन्टू 60 फुट के भूखण्ड की चारदीवारी अपने खर्चा से करवायी गई थी। जिस पर करीब 40 हजार रूपये का खर्च आया। इसके अलावा प्रार्थीया द्वारा उक्त भूखण्ड के मध्य मे एक झोपडीनुमा कमरा व खाना बनाने के लिये आंगन व चूल्हा बनाया हुआ था । झोपड़ीनुमा कमरा मे वादिया का घरेलू सामान चारपाई, खाना बनाने के बर्तन आदि रखकर रिहाईश की हुई थी झोपडीनुमा कमरा का लोहे का गेट लगा हुआ है और खाना बनाने के काम आने वाली वनछटियां भी उक्त्त भूखण्ड मे रखी हुई है। उक्त्त झोपडीनुमा कमरा में प्रार्थीया अपने पुत्र गुरकीरत सिंह के मध्य वर्ष 2016 से आबाद थे। उक्त सभी निर्माण को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 के दबाव में आकर ध्वस्त कर दिया व समस्त मलबा सरंपच द्वारा अपने हित के लिये अपने घर में गिराकर अपने उपयोग व उपभोग में ले लिया गया व कमरा मे एक सूट केस रखा हुआ था जिसमे दस हजार रूपये की राशि थी जिसे भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ले गये हैं। जिसके सबंध मे प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर अलग से कार्यवाही करने के लिये स्वतत्रं है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब कोई व्यक्ति्त पाचं हजार रूपये तक का निर्माण किसी भूखण्ड में कर लेता है तो उसके आंवटन की शर्ते पुरी करता है तो ऐसा व्यक्ति उक्त भूखण्ड के आवंटन का पात्र होगा।

11. यह कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 से मिलकर अप्रार्थी संख्या 3 उक्त्त भूखण्ड को योजनावत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत करके आवंटन करवाना चाहते है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भी मौका पर अप्रार्थी संख्या 2 को कब्जा सुपुर्द करना चाहते है। प्रार्थीया की भाई अमृतपाल सिह दौराने बातचीत दिंनाक 08.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से इस बात की जानकारी मिली कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की, 9,50,000/– रूपये मे उक्त्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 03 को देने की डील हुई है इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीया के पक्ष मे नियमन ना किया जाकर प्रार्थीया को गलत तरीके से बेदखल करने की कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रार्थीया के भाई अप्रार्थी संख्या 3 से हुई बातचीच की पेनड्राईव धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र सहित सलग्न निगरानी है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

12. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से ग्राम पंचायत गणेशगढ मे उक्त भूखण्ड के संबंध में की गई कार्यवाही से सबधित रिकॉर्ड, कार्यवाही रजिस्टर, रोकड वही, नक्शा आबादी भूमि व अन्य आज्ञाओं की पत्रावली सहित रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जा से तलब किया जावे।

13. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के दबाव में आकर उक्त भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 3 को सुपुर्द करना चाहते है अप्रार्थी संख्या 3 को आवटन करना चाहते है ऐसा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने एलानिया कहा है अगर अप्रार्थी संख्य 1 व 2 अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीया का मामला प्रथम दृष्टया बनता है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है इसलिये प्रार्थीया उक्त प्रकरण मे स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारिणी है।

14. यह कि उक्त प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानो से सबंधित है जिसे श्रीमान न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है व निगरानी उचित शुल्क पर प्रस्तुत की जा रही है।

अतः निगरानी धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अर्ज है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 2 द्वारा गैर कानूनी तरीके से पारित आदेश कमांक 135 दिनांक 05.07.2024 को निरस्त किया जावे ओर दौराने निगरानी उक्त भूखण्ड चक गणेशगढ के मुरबा नम्बर 121 किला नम्बर 1 में 40 इन्दू 60 फुट का कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 5 को सुपुर्द ना करे एवं मौका व रिकॉर्ड की मौका स्थिति बनायी रखी जावे और उक्त भूखण्ड के नियमन कार्यवाही प्रार्थीया के पक्ष में नियमानुसार किये जाने का आदेश पारित करें। आपकी अति कृपा होगी।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ता 03 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :–

1. यह कि अदालतवाला में सुखवीर कौर द्वारा ग्राम पंचायत गणेशगढ के पत्र क्रमांक 135 दिनांक 5–7–2024 प्लॉट गुरूनानक कॉलोनी, गणेशगढ में चक गणेशगढ मुरब्बा नम्बर 121 के किला नम्बर 1 में 40X60 फुट जगह को बेदखल करने के नोटिस के विरूद्ध पेश की थी और जिसमें स्थग्न आदेश भी पेश पेश किया हुआ है। उक्त निगरानी में प्रार्थी द्वारा निगरानी खारिज करवाने का एक आवेदन–पत्र दिया दूसरा इसमें यह एतराज पेश किया कि उक्त निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा कोई अपनी तरफ से आदेश नहीं दिया गया बल्कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट सं. 6452/24 सुखवीर कौर बनाम ग्राम पंचायत की पालना में की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत आदेश पारित किया है जो आर्डर निगरानी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि ग्राम पंचायत को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

तीन सप्ताह में यदि इसका कोई प्रार्थना–पत्र नियमन का विचाराधीन है तो उसका निर्णय किया जावे। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इसकी जांच की गयी, इसका कोई प्रार्थना–पत्र विचाराधीन नहीं था और न ही यह गणेशगढ की रहने वाली थी, इसकी शादी हुए काफी अर्सा हो गया और जो 5–7–2024 का आदेश है वह उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में किया गया है जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए निगरानी मेन्टेबल नहीं होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः लिखित बहस पेश करके निवेदन है कि निगरानी मय खर्चा खारिज फमरमायी जावे।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में निगरानी में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि :–

1. मान्यवर जी, प्रार्थीया द्वारा पूर्व में एक निगरानी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें श्रीमान न्यायालय दिनांक 15.03.24 को मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था। जिस आदेश को श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.24 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा एक रिट याचिका संख्या 6452 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या को निर्देशित किया गया था कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत में दिनांक 18.08.21 को दिये गये नियमन के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.21 का तीन सप्ताह में निस्तारण किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र 18.08. 21 का निस्तारण बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये व पंचायत राज अधिनियम 1994 व पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधानो के विपरीत दिनांक 05.07.24 को गलत रूप से निस्तारण कर मौका पर प्रार्थीया का जो शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा था उसे अतिक्रमण मानकर हटा दिया गया व प्रार्थीया के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 18.08.21 का निस्तारण आदेश कमांक 135 दिनांक 05.07.24 द्वारा कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है। श्रीमान न्यायालय द्वारा भी निगरानी को पेश करना अपने आदेश दिनांक 10.03.2025 द्वारा उचित मानकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया है।
2. मान्यवर जी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कमांक 135 दिनांक 05.07.24 एक पक्षीय तौर पर बिना प्रार्थीया को सुने व बिना कोई नोटिस दिये प्राकृति न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
3. मान्यवर जी, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आदेश दिनांक 05.07.24 से पूर्व पालना करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नही किया ना ही कोई सूचना अखबार में छाया की गई। प्रार्थीया शांतिपूर्वक कब्जा को गलत तरीके से अतिक्रमण मानकर हटा दिया गया जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.21 का निस्तारण करने का निर्देश

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

दिया गया है इसलिये भी आदेश कमांक 135 दिनांक 05.07.24 निरस्त करने योग्य है।

4. मान्यवर जी, श्रीमान न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पूर्व निगरानी के माध्यम से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को पूर्ण रूप से पता चल गया था कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता जंगीर सिंह द्वारा प्रार्थीया के हक में दान पत्र लिखा गया है। इसलिये अप्रार्थी संख्या । ता 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को उकसाकर प्रार्थीया के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये उत्प्रेरित किया और अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 द्वारा अपने गलतहित के लिये ग्राम पचायत व सचिव ग्राम पंचायत के साथ सांठ गांठ करके प्रार्थीया को उसके भूखण्ड से बेदखल करवाने की कार्यवाही की गई। जबकि प्रार्थीया उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता द्वारा किये गये दान पत्र के द्वारा उक्त भूखण्ड पर आबाद थी। उक्त भूखण्ड पर वर्ष 1999 से जंगीर सिंह का कब्जा था व वर्ष 2016 से प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा था। जो कि शांतिपूर्वक था इसलिये प्रार्थीया उक्त भूखण्ड को पाने की प्रथम पात्र थी।

5. मान्यवर जी, प्रार्थीया द्वारा आबादी भूमि चक गणेशगढ के मुरब्बा नं. 121, किला नम्बर 1 में 40X60 फुट के भूखण्ड के नियमन के लिये दिनांक 18.08.21 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इन्कार किया जा रहा है किन्तु इसके संबंध में ग्राम पंचायत के पंचो द्वारा प्रार्थना पत्र देने के संबंध में दी गई तस्दीक की फोटोप्रति व मौका पर उक्त प्रकरण पर प्रार्थीया का वर्ष 1999 से कब्जा होने की तस्दीक जो पंचो द्वारा दी गई है वह मौका पर बने हुये निर्माण की फोटो संलग्न निगरानी है। जिससे प्रार्थीया उक्त भूखण्ड के नियमन के पात्र थी।

6. मान्यवर जी, उक्त भूखण्ड को आवंटन/नियमन करवाने के लिये पंचायत राज अधिनियम 1994 व पंचायत राज अधिनियम 1996 व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो की अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.21 के निस्तारण में कतई रूप से पालना नही की गई। जो प्रावधान निम्न प्रकार से है:-

(1)यह कि पंचायत राज नियम के प्रावधानो के अनुसार धारा 146 के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थीया के आवेदन पत्र को दर्ज नही किया गया और आवेदन पत्र दर्ज कर पंचो की कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण नही किया गया। नियम 146 के प्रावधान निम्न प्रकार है:-

नियम 146 स्थल निरीक्षण (1) सचिव ऐसे आवेदन को प्रारूप 21 में दर्ज करेगा और फाईल खोलेगा

(2) सचिव ऐसे सभी लम्बित प्रकरणो को निरीक्षण स्थल के लिये पंचो की कमेटी नियुक्त करने के लिये आगामी बैठक में रखेगा।

(3) पंच 15 दिन के भीतर भीतर निम्न विषयो पर अपनी राय देगे।

(क) क्या आवेदित विकय आने जाने के लिये उपर्युक्त सुविधाओ को प्रभावित करता है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

(ख) विकय से कोई सुखाचार संबधी अधिकार प्रभावित होता है।
(ग) विकय से क्षेत्र की सुन्दरता व सफाई प्रभवित होती है।
(घ) भूमि खरीदने के उपर्युक्त इच्छुक निवासियो के नाम
(ड) अन्य विषय जो सुसंगत प्रतीत हो पर अपनी राय दी जानी थी

किन्तु प्रार्थीया के प्रकरण में उक्त प्रकार के प्रावधानो की पालना नही की गई।

(2) यह कि अन्तिम विनिश्चय के लिये नियम 147 की पालना नही की गई ग्राम पचायत द्वारा अन्तिम निर्णय के लिये कोई ग्राम पंचायत की बैठक आहुत नही की गई है और ना ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया। सरपंच द्वारा बिना किसी प्रस्ताव के स्वेच्छा से ही प्रार्थीया को आवंटन के अयोग्य मानकर प्रार्थीया के कब्जा को अतिक्रमण की श्रेणी में मानकर प्रार्थीया को उसके चक गणेशगढ के मुरब्बा नं. 121, किला नम्बर 1 में 40X60 फुट के भूखण्ड से गलत रूप से बेदखल कर दिया गया।

(3) यह कि प्रार्थीया बाजार कीमत पर नीलामी के आधार पर भी नियम 151 व 152 में उक्त भूखण्ड पाने की हकदार थी।

(4) यह कि प्रार्थीया नियम 157 के अंतर्गत पुराने घरो का भी नियमतीकरण के अंतर्गत भी उक्त भूखण्ड चक गणेशगढ के मुरब्बा नं. 121, किला नम्बर 1 में 40X60 फुट के भूखण्ड के नियमन करवाने की हकदार थी क्योकि उसका कब्जा 25 वर्ष के दोरान था और भूखण्ड में झोपडा आदि बना हुआ था और प्रार्थीया के पास अन्य कोई भूखण्ड नही था।

7. मान्यवर जी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वर्ष 1999 से लेकर आज दिनांक तक कभी भी प्रार्थीया कब्जा को पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 165 के अंतर्गत अतिक्रमण की श्रेणी में दर्ज रजिस्टर नही किया गया और ना ही कभी नियम 165 से संबंधित प्रकिया का कोई नोटिस प्रार्थीया को दिया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया अतिकमी नही थी।

8. मान्यवर जी, प्रार्थीया जो कि उक्त पता पर वर्ष 2016 से निवास कर रही है। प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता जंगीर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति तरखान निवासी गणेशगढ द्वारा चक गणेशगढ के गुरूनानक कॉलोनी में कॉर्नर का प्रथम प्लाट जिसके उत्तर व पश्चिम दिशा में दो रास्ते आम लगते थे व दक्षिण दिशा में देवाराम का प्लाट है व पूर्व दिशा में दूलीचंद का प्लाट है जिसका साईज 40X60 फुट है। दिनांक 12.02.2016 को गवाहान शेर सिंह पुत्र टहल सिंह निवासी नंदेवाली ढाणी व मेजर सिंह पुत्र जंगीर सिंह निवासी गणेशगढ की उपस्थिति में 100 रूपये के स्टाम्प पर दस्तावेज गिफ्टनामा निष्पादित करके प्रार्थीया को दिया था। दस्तावेज गिफ्ट दिनांक 12.02.16 नोटेरी पब्लिक एस.पी. गुप्ता द्वारा जंगीर सिंह व वादिया व दोनो गवाहान की उपस्थिति में प्रमाणित करके दिया गया था। उक्त गिफ्टडीड में जो भूखण्ड प्रार्थीया को जंगीर सिंह द्वारा दिया गया था उसके एवज में वादिया द्वारा किसी प्रकार का प्रतिफल जंगीर सिंह को अदा नही किया गया और जंगीर सिंह द्वारा पूर्ण रूप से होश हवास में उक्त दस्तावेज निष्पादित कर उक्त अंकित

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

भूखण्ड का कब्जा दिनांक 12.02.2016 को प्रार्थीया के सुपुर्द कर दिया गया। गिफ्टडीड की फोटोप्रति, जमाबन्दी, मौका की तीन फोटोग्राफ संलग्न निगरानी है।

9. मान्यवर जी, प्रार्थीया जो कि निहाईत गरीब परिवार से है व औरतजात है जिसके पास रिहाईश के लिये गांव गणेशगढ में अन्य कोई जगह उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थीया द्वारा वर्ष 2016 में ही उक्त भूखण्ड का कब्जा जंगीर सिंह द्वारा उसे सुपुर्द करने के तुरन्त बाद आबादी भूमि गैरमुमकिन गणेशगढ के मुरब्बा नं. 121 के किला नम्बर 1 में 40X60 फुट के भूखण्ड की चारदीवारी अपने खर्चा से करवाई गई थी। जिस पर करीब 40 हजार रूपये का खर्च आया। इसके अलावा प्रार्थीया द्वारा उक्त भूखण्ड के मध्य में एक झोपडीनुमा कमरा व खाना बनाने के लिये आंगन व चूल्हा बनाया हुआ था झोपडीनुमा कमरा में वादिया का घरेलू सामान चारपाई, खाना बनाने के बर्तन आदि रखकर रिहाईश की हुई थी झोपडीनुमा कमरा को लोहे का गेट लगा हुआ है और खाना बनाने के काम आने वाली वनछंटिया भी उक्त भूखण्ड में रखी हुई है। उक्त झोपडीनुमा कमरा में प्रार्थीया अपने पुत्र गुरकीरत सिंह के साथ वर्ष 2016 से आबाद थे। उक्त सभी निर्माण को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 के दबाव में आकर ध्वस्त कर दिया व समस्त मलबा सरपंच द्वारा अपने हित के लिये अपने घर में गिराकर अपने उपयोग व उपभोग में ले लिया गया। जिसके संबंध में प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर अलग से कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

10. मान्यवर जी, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 से मिलकर अप्रार्थी संख्या 3 उक्त भूखण्ड को योजनाबद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत करके आवंटन करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भी मौका पर अप्रार्थी संख्या 2 को कब्जा सुपुर्द करना चाहते है। प्रार्थीया के पुत्र को दौराने बातचीत अप्रार्थी संख्या 3 से इस बात से जानकारी हुई है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से 9,50,000 रूपये में उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 3 से प्राप्त करने की डील हुई है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा गैर कानूनी तरीके से उक्त भूखण्ड का प्रार्थीया के पक्ष में नियमन ना किया जाकर प्रार्थीया को गलत तरीके से बेदखल करने की कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रार्थीया के पुत्र की अप्रार्थी संख्या 3 से हुई बातचीत की पैनड्राईव धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र सहित संलग्न निगरानी है।

11. मान्यवर जी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के दबाव में आकर उक्त भूखण्ड का कब्जा अप्रार्थी संख्या 3 को सुपुर्द करना चाहते है और अप्रार्थी संख्या 3 को आवंटन करना चाहते है ऐसा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ऐलानिया कहा है अगर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीया का मामला प्रथम दृष्टया बनता है ओर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

12. मान्यवर जी, उक्त प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानो से संबंधित है जो श्रीमान न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है व उचित कोर्ट फीस पर निगरानी प्रस्तुत की गई।

13. मान्यवर जी, धारा 97 राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण ओर पुनर्विलोकन की शक्ति– (1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियो के संबंध मे किसी पंचायत राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी ओर उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये, तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की किन्ही भी कार्यवाहियो के संबंध में ग्राम पंचायत कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये पुर्नविलोकन की शक्ति राज्य सरकार के पास है जिसकी अधिकारिता श्रीमान जी में निहित है। इसलिये आदेश कमांक 135 दिनांक 05.07.2024 के विरूद्ध अप्रार्थीया द्वारा नियमानुसार निगरानी पेश की गई है। रेवन्यु अधिनियम के प्रावधनो के अनुसार प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अलग अलग निगरानी प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जहां तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2024 की पालना में आदेश पारित करने का कथन प्रार्थी द्वारा किया गया है। उसके संबंध में अप्रार्थीया स्पष्ट कर रही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 (प्रदर्श 3) पर 3 सप्ताह में आदेश पारित करने का कथन किया गया था प्रार्थीया के आवेदन पत्र को खारिज करने का नही। उक्त आदेश दिनांक 05.07.2024 के विरूद्ध अप्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष पुनरीक्षण पेश करने की पूर्ण अधिकारिता रखती थी। इसलिये अप्रार्थी द्वारा श्रीमान जी के समक्ष नियमानुसार निगरानी याचिका पेश की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अलग से अनवान घासी राम एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य में भी इसी सिद्धान्त को पारित किया गया है और संयुक्त याचिका को वर्जित किया गया है इसलिये अप्रार्थीया द्वारा अलग से उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

14. मान्यवर जी, शादी के बाद प्रार्थीया गांव गणेशगढ में ही आबाद रही हैं अप्रार्थीया एक परित्यागता महिला है जिसका प्रमाण पत्र फोटोप्रति संलग्न है। जो प्रार्थी द्वारा स्वयं जारी किया हुआ है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मान्य होने का प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीया का वोटर निर्वाचन आयोग पहचान पत्र कमांक

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

डब्ल्यूईजेड/0821 बना हुआ है। जिसमें भाग संख्या 176/875 पर अप्रार्थीया का नाम निर्वाचन मतदाता सूची गणेशगढ में संलग्न है मौका पर कब्जा की तस्दीक के संबंध में ग्रामवासियो की तस्दीक 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर संलग्न है जिसमें 7-8 वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है। दिनांक 18.08.2021 को नियमन के लिये ग्राम पंचायत को पेश प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति संलग्न है। मौका पर अप्रार्थीया ने निर्माण को हटाते हुये फोटो संलग्न है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीया का कब्जा था नोटिस दिनांक 313/24 में भी अप्रार्थीया का मौका पर कब्जा स्पष्ट हैं गिफटडीड दिनांक 12.02.2016 द्वारा जंगीर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह द्वारा अप्रार्थीया को उक्त विवादित भूखण्ड का कब्जा देना साबित है। दिनांक 09.03.2024 का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक के पेश किया था जिसमें भी स्पष्ट अंकित किया था कि काना राम तावर उसे उस भूखण्ड से बलजीत सचिव के साथ मिलकर बेदखल करना चाहता है। इसके अतिरिक्त एक प्रार्थना पत्र काना राम ने चौकी गणेशगढ में पेश किया था। जिसके जांच में भी परिवादी थाना द्वारा अप्रार्थीया के प्लाट के पास ईन्टे गिराकर कब्जा करने की पुष्टि हुई है जंगीर सिंह का मौका पर वर्ष 2016 से पूर्व मौका पर कब्जा मुरब्बा नं. 121 के किला नम्बर 1 में 40X60 फुट पर होने के संबंध में पुरानी फोटो भी पत्रावली में पेश है। जिससे अप्रार्थीया का मौका पर कब्जा होना स्पष्ट है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा गैरकानूनी तरीके से पारित आदेश कमांक 135 दिनांक 05.07.24 को निरस्त कर रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायी रखी जावे और नियमानुसार उक्त भूखण्ड का आवंटन प्रार्थीया के हक में करने का आदेश पारित किया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 6 ता 8 ने अपनी बहस में कथन किया कि :-

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत गणेशगढ के मुरब्बा नं. 121 में बसी हुई आबादी के लोगो को अनाधिकृत रूप से हटाया जा रहा हैं जिसके संबंध में पूर्व में भूपराम पुत्र मनफुलराम के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई व उक्त प्रकरण में भी निगरानीकर्ता सुखवीर कौर जिसका वर्ष 2016 से चक गणेशगढ के मुरब्बा नं 121 के किला नं. 1 में कॉर्नर के प्रथम प्लाट पर जिसे उत्तर व पश्चिम में रास्ते आम लगते है व दक्षिण में देवाराम का प्लाट है व पूर्व में दूलीचंद का प्लाट है जिसका साईज 40X60 फुट है को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनाधिकृत रूप से अपने कब्जा में लेकर काना राम नामक व्यक्ति को आवंटित करने की फिराक में है और प्रार्थी संख्या 1 व 2 जो कि वार्ड पंच है जिनको इस बात की पूर्ण जानकारी है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो कि प्रभावशाली है ओर कई बार बिना तथ्यो से अवगत करवाकर प्रार्थी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर कार्यवाहियों पर इनके द्वारा करवाये गये है जबकि उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता का वर्ष 2016 से उक्त विवादित भूखण्ड पर कब्जा चला आ रहा था अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने राजनैतिक प्रभाव के

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

कारण तथ्यो को तोडमरोड कर पेश किया जा रहा है जिसके संबंध में प्रार्थीगण श्रीमान जी के समक्ष सही स्थिति रख सकते है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जो कि वार्ड पंच है जिनका प्रथम दायित्व है कि वह ग्राम पंचायत के प्रत्येक नागरिक के प्रति सही व्यवहार रखे और किसी के प्रति अन्याय ना हो। प्रार्थी संख्या 3 जो कि समाज सेवी है जिसे ग्राम पंचायत के प्रत्येक कार्य व ग्राम पंचायत में सभी व्यक्तियो के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है। प्रार्थीगण उक्त प्रकरण के तथ्यो को श्रीमान न्यायालय के समक्ष सही एवं समुचित रूप से रखने के लिये अपने कर्तव्य की पूर्ति में श्रीमान जी के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है ताकि सभी को न्याय प्राप्त हो सके। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में पूर्व में भी कई व्यक्तियो से भूखण्ड छीनकर उसे अन्य स्थान पर भूखण्ड देने का कहकर ऐसे व्यक्तियो को भूखण्ड गांव से बाहर आबादी भूमि में देने का आश्वासन देकर उनके भूखण्डो को औने पौने दामो में खुर्द बुर्द कर दिया इस संबंध में वार्ड नं. 5 में प्लाट नं. 1147 व 1148 के पटटाधार को भी उनके भूखण्डो से वंचित कर दिया गया है। अतः सरपच ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि :–

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6452/24 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को निर्देशित किया गया कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत में दिनांक 18.08.2021 को दिये गये नियमन के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 का तीन सप्ताह मे निस्तारण किया जावे। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 का निस्तारण आदेश कमांक 135 दिनांक 05.07.2024 द्वारा निम्नानुसार किया गया:–

"ग्राम पचायत क्षेत्राधिकार में आने वाली आबादी भूमि के वार्ड सं. 5 में स्थित ठेका शराब गणेशगढ के पास जो कि राजस्व रिकार्ड में मु.न. 121 के किला न. 1 गैर मुमकिन आबादी भूमि दर्ज है और उक्त किला नं. 1 में 40X60 फुट का भूखण्ड एक अर्सादराज से खाली पडा है जिसका आंवटन किया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थीया सुखवीर कौर द्वारा दिनांक 08.03.2024 की मध्यरात्रि में खाली पडे भूखण्ड पर लगभग 40X 90 फुट भाग पर कब्जा कर कच्ची दीवारो का निर्माण कर लिया जिसकी दिनांक 09.03.2024 को जानकारी होने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया को तीन दिवस के भीतर अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में नोटिस प्रेषित किया गया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तत्पश्चात ग्राम पचायत द्वारा दिनांक 12.03.2024 को पुनः द्वितीय नोटिस अतिक्रमण को तीन दिवस में अपने स्तर पर हटाये जाने हेतु प्रेषित किया गया परन्तु प्रार्थीया सुखवीर कौर द्वारा कोई भी कार्यवाही अपने द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु नहीं की गयी, तदोउपरांत प्रार्थीया सुखवीर कौर को तृतीय नोटिस दिनांक 15.03.2024 को इस आशय का जारी किया गया कि सुखवीर कौर अतिक्रमण स्थल पर निर्माण कार्य को अविलम्ब बन्द करते हुए उक्त अवैध कब्जा स्थल के संबंध में अपने दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा अपना अतिक्रमण स्वयं के स्तर पर हटा लेंवें। जिसका कोई भी जवाब प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नहीं

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

किया गया और ना ही अतिक्रमण को हटाया गया। दिनांक 18.03.2024 को प्रार्थीया द्वारा एक निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये नोटिस कमांक 13 दिनांक 09.03.2024 के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर में प्रकरण सं. 8/2024 प्रस्तुत की जा कर ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही समस्त कार्यवाही को स्थगित करवा दिया गया। तदोपरांत ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण स्थल के मौके की समिति बनाकर जांच की गई और मौका नक्शा बनाया गया, फोटोग्राफ लिये गये और उक्त समस्त जांच रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज फरमा दिया गया। प्रार्थीया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका ग्राम पंचायत गणेशगढ के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 27.03.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय को चुनोती दी गयी और यह अभिवाक लिया गया कि प्रार्थीया चक 20 एसपीएम ग्राम गणेशगढ में कब्जाधीन है और ग्राम पंचायत को दिनांक 18.08.2021 को पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया हुआ है जिसका निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09.03.2024 व 28.03.2024 को भूमि खाली करने का आदेश दिया हुआ है।

"माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के द्वारा अभिकथित आवेदन दिनांक 18.08.2021 को आधार मानकर निर्णय किये जाने का निर्देश ग्राम पंचायत गणेशगढ को दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी भूमि के संबंध में रिकार्ड एवं प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि प्रार्थीया द्वारा कोई आवेदन दिनांक 18.08.2021 को ग्राम पंचायत के समक्ष भूमि का पट्टा बनाये जाने हेतु प्रस्तुत नहीं किया हुआ है और ना ही ऐसा कोई आवेदन ग्राम पंचायत गणेशगढ को प्राप्त हुआ है। यहां यह उलेख किया जाना उचित होगा की ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा अपने रिकार्ड की जांच की गई तो पाया गया कि वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे करवाया गया था जिसमें विवादित स्थल जो कि प्रोपर्टी आईडी सं. 464 पर दर्ज है, जिसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ था और भूखण्ड एकदम सफेद खाली था। उक्त भूखण्ड एक अर्सादराज से ग्राम पंचायत रिकार्ड में गैरमुमकिन आबादी भूमि दर्ज है और उसके स्वामित्व के संबंध में कोई भी विवाद नहीं हुआ है, और ना ही उक्त भूखण्ड पूर्व में किसी व्यक्ति को आंवटित किया गया है, इस प्रकार ग्राम पंचायत उक्त भूखण्ड की एकल स्वामी है।

" प्रार्थीया द्वारा अतिक्रमण दिनांक 08.03.2024 को किये जाने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा बार बार भूखण्ड से अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में प्रार्थीया को नोटिस दिये गये थे जिस पर प्रार्थीया द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत कर भूखण्ड के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया। दिनांक 28.03.2024 को प्रार्थीया को बैदखली का नोटिस दिया गया था, परन्तु आर्दश आचार संहिता प्रभावी होने के कारण प्रार्थीया द्वारा किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका था, जिसका लाभ उठाकर प्रार्थीया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें ग्राम पंचायत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के प्रकरण को निस्तारित करने का आदेश दिनांक 20.04.2024 को दिया गया

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थीया द्वारा कभी भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं करवायी गयी। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीया के आवेदन दिनांकित 18.08.2021 का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है,ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूखण्ड के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया तो उसमें प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 पत्रावली में नहीं पाया गया, और ना ही ऐसी कोई जांच पत्रावली में पायी गयी जिसमें प्रार्थी के साथ भूखण्ड का कोई पूर्व मे ग्राम पंचायत द्वारा विवाद हुआ हो। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के रिकार्ड में पाया गया कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की गैरमुमकिन आबादी भूमि दर्ज है, और वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम का स्वामित्व योजना के अर्न्तगत ड्रोन सर्वे करवाया गया था, उक्त सर्वे में भी उक्त भूखण्ड खाली पड़ा है जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 08.03.2024 को ग्राम पंचायत के भूखण्ड पर जबरन कब्जा किया जा कर अवैध निर्माण कार्य किया गया है।"

"ग्राम पंचायत द्वारा कि गयी जांच में भी यह पाया गया कि प्रार्थीया सुखवीर कौर द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अतिक्रमण किया गया है जिसे ग्राम पंचायत की चार सदस्य समिति द्वारा पैमाईस कर अतिक्रमण को चिन्हित कर मौके का नक्शा तैयार किया गया। जिसके अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया सुखवीर कौर द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में खाली पड़े भूखण्ड पर मिट्टी की चिनाई करते हुए सीमेन्ट की चदरो से छत लगाकर और लोहे का गेट लगाकर कुल 40X90 फुट में कब्जा किया जा कर अतिक्रमण दिनांक 08.03.2024 को रात्रि में किया गया है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि ग्राम पंचायत की समिति द्वारा मौके से लिये गये फोटोग्राफ का भी अवलोकन किया गया तो उसमें पाया गया कि निर्माण कार्य हाल में ही किया गया है और उक्त निर्माण कार्य किसी भी प्रकार से पुराना निर्माण कार्य नहीं है और निर्माण कार्य किये जाने के उपरांत कच्चे कमरे पर ताला लगा हुआ है। उक्त कच्चा कमरा 8 गुणा 8 फुट का है। जिसमें भी प्रार्थीया द्वारा निवास नहीं किया गया है। प्रार्थीया को जो नोटिस प्रेषित किये गये थे उसके जवाब प्रार्थीया द्वारा नहीं दिये गये है और ना ही खण्डन स्वरूप कोई दस्तावेज अपने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का पुराना कब्जा एक लम्बे अर्से दराज से काबिज होने के तथ्य प्रमाणित नहीं होते है। प्रार्थीया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा था कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.08.2021 पट्टा के संबंध में निस्तारित नहीं किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रिट याचिका की प्रति अपने अधिवक्ता के मार्फत प्राप्त की गई। उक्त रिट याचिका में वर्णित तथ्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो प्रार्थीया द्वारा रिट याचिका में भी कोई सारवान तथ्य अंकित नहीं किये है और ना ही कोई दस्तावेज अपने कब्जा के संबंध में प्रस्तुत किये गये है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा बार बार प्रार्थीया को नोटिस भेजकर अपने कब्जे के संबंध में दस्तावेज मांगे गये थे, परन्तु प्रार्थीया दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही है, और अपना वैध कब्जा भी भूखण्ड पर प्रमाणित करने में विफल रही है। नियमन की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा तभी की जा सकती है जब एक अर्सा दराज से निवासरत व्यक्ति अपने पुराने कब्जे को प्रमाणित करने में सफल रहता है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया अपने पुराने कब्जे के संबंध में कोई भी दस्तावेज जैसे पुराने पानी/बिजली के बिल, अपने पहचान पत्र, राशनकार्ड अथवा ऐसा

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

दस्तावेज जो विवादित भूखण्ड पर प्रार्थीया को सूचित किये जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया का पुराना कब्जा भूखण्ड पर नही है और उसके द्वारा दिनांक 08.03.2024 को ही कब्जा किया गया है। विधिवत रूप से प.रा. नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उपरोक्त आधारो पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रार्थीया सुखवीर कौर को अपना अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में सुनवाई का अवसर देते हुए वैध रूप से नोटिस दिये गये है, और ग्राम पंचायत द्वारा वैध रूप से प्रार्थीया का अवैध कब्जा हटाये जाने का विधि सम्मत आदेश दिया गया है।'

निगरानीकर्ता द्वारा जिस आदेश के विरूद्व निगरानी पेश की गई है उस आदेश में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा निगरानी में लिये समस्त तथ्यों का निस्तारण किया गया है। निगरानीधीन आदेश क्रमांक 135 दिनांक 05.07.2024 के अनुसार वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे करवाया गया था जिसमें विवादित स्थल जो कि प्रोपर्टी आईडी सं. 464 पर दर्ज है, जिसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ था और भूखण्ड एकदम सफेद खाली था।" एवं निगरानीकर्ता का यह कथन कि दिनांक 18.08.2021 ग्राम पंचायत के सम्मक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है के सम्बन्ध में "माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के द्वारा अभिकथित आवेदन दिनांक 18.08.2021 को आधार मानकर निर्णय किये जाने का निर्देश ग्राम पंचायत गणेशगढ को दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी भूमि के संबंध में रिकार्ड एवं प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि प्रार्थीया द्वारा कोई आवेदन दिनांक 18.08.2021 को ग्राम पंचायत के समक्ष भूमि का पट्टा बनाये जाने हेतु प्रस्तुत नहीं किया हुआ है और ना ही ऐसा कोई आवेदन ग्राम पंचायत गणेशगढ को प्राप्त हुआ है। अतः निगरानीधीन आदेश क्रमांक 135 दिनांक 05.07.2024 के अनुसार ना तो निगरानीकर्ता का कब्जा वर्ष 2016 से है, ना ही निगरानीकर्ता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 को नियमन बाबत ग्राम पंचायत में कभी प्रस्तुत किया गया है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
(प्रशासन), श्रीगंगानगर